भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
(सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)
परियोजना कार्यान्वयन इकाई, हनुमानगढ़
National Highways Authority of India
(Ministry of Road Transport & Highways, Govt. of India)
Project Implementation Unit, Hanumangarh
191, Court Road, Near City Police Station, Hanumangarh Junction - 335512
191, कोर्ट रोड, नजदीक सिटी पुलिस स्टेशन, हनुमानगढ़ जंक्शन-335512
दूरभाष/Phone : 01552-260069 ई-मेल/E-mail: piuhanumangarh@nhai.org, piuhanuman@gmail.com

सत्यमेव जयते

NHAI/15021/1/2018/Forest/AJ-SR/4119 Date: 21.09.2022

The Regional Officer
IRO, MoEF&CC – Rajasthan State
Aaranya Bhawan, Jhalana Institutional Area
Jaipur - 302004

Sub: Construction of 6-lane access controlled Greenfield highway from Km (-)00+300 to Km. 252+500 of Sangariya (near Chautala)-Rasisar (near Bikaner) section of NH-754K as a part of Amritsar-Jamnagar Economic Corridor in the State of Haryana & Rajasthan on EPC mode under Bharatmala Pariyojana(Phase-I): **Diversion of 63.6807 ha. of forest land in favour of National Highways Authority of India PIU Hanumangarh –reg.**

Ref: EDS Reply for IRO Jaipur Letter No. File No. 8B/RAJ/06I25I2O2OBC Dated: 16th June, 2022 for Forest diversion proposal no. FP/RJ/ROAD/37034/2018 of NHAI.

Sir,

In reference to the above subject and your letter regarding EDS, please find below NHAI reply for the same.

Sl.	EDS raised	EDS reply by NHAI
i.	FRA certificates are received for all the three districts (Bikaner, Hanumangarh & Sriganganagar). However, Gram Sabha resolution for area falling in districts Bikaner and Sriganganagar are not received. Also, proceedings of District Level committee in district Sriganganagar is on the letter pad of Jila Parishad which shall be on the letter pad of District Collector.	All the FRA's were submitted after due process and respected DC/DM submitted the FRA certificates after complete process. Letters from Sarpanch and resolutions are attached for ready reference. **(Enclosed as Annexure-1).** The meeting was conducted in the presence of the District Collector and the CEO Jila Parishad, DC has also signed on the MoM of Jila Parishad (Letter no.2588 dated 22.01.2021 **enclosed as Annexure-2**)
ii.	Nodal officer, Govt. of Rajasthan letter dated 27.01.2022 of is not readable. Thus, clear and readable copy of the letter shall be uploaded on the PARIVESH portal.	Clear copy of Nodal officer, Govt. of Rajasthan letter dated 27.01.2022 is attached as **Annexure-3)**

Cont.Page-2

It is therefore requested to kindly accept and the EDS reply and provide the Stage-II clearance at the earliest as this project is of National Importance.

Thanking you,

Yours Faithfully,

Encl.: As above.

Project Director

2/9/2022

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST & CLIMATE CHANGE
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, जयपुर / **Integrated Regional Office, Jaipur**

ए 218 & बी 216 "अरण्य भवन", झालाना संस्थानिक क्षेत्र, जयपुर - ३०२००४ / A-218& B-216, "ARANYA BHAWAN" ,Jhalana Institutional Area, Jaipur-302004
दूरभाष/Tel No: 0141-2713858, 2713786 Email: iro.jaipur-mefcc@gov.in

File No. 8B/RAJ/06/25/2020/FC **Dated: 16th June, 2022**

सेवा में,
शासन सचिव (वन)
सिविल सचिवालय, राजस्थान शासन,
जयपुर, राजस्थान।

(ऑनलाईन क्रमांक FP/RJ/ROAD/37034/2018)

विषय: Diversion of 63.6807 ha. of forest land in favour of National Highways Authority of India PIU Hanumangarh for Construction of approach road for construction of 4/6 lane road from Choutala in Sirsa district in the state of Haryana to Rasiser in Bikaner district in the state of Rajasthan from CH (0.300) km to 252.500 km. this is a part of Amritsar to Kandla Express Way under Bharatmata Pariyojana.

सन्दर्भ: शासन सचिव (वन), राजस्थान का पत्र क्रमांक P.1(40)Forest/2020(Part) dated 05.05.2022.

महोदय,

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र का आशय ग्रहण करने का कष्ट करें। विषयांकित प्रस्ताव पर इस कार्यालय के सैद्धांतिक अनुमोदन दिनांक 02.09.2021 का अनुपालन प्रतिवेदन प्रेषित कर केन्द्र सरकार की वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत् धारा-2 के तहत स्वीकृति मांगी गयी थी।

अनुपालन प्रतिवेदन के परिक्षणोपरांत यह पाया गया कि राज्य शासन द्वारा सम्पूर्ण जानकारी/ दस्तावेज परिवेश पोर्टल पर अपलोड नहीं किये गये है। अतः राज्य शासन से अनुरोध है कि निम्नलिखित आवश्यक जानकारी इस कार्यालय को ऑनलाईन पोर्टल के माध्यम से उपलब्ध करायें:

i. FRA certificates are received for all the three districts (Bikaner, Hanumaangarh & Sriganganagar). However, Gram Sabha resolution for area falling in districts Bikaner and Sriganganagar are not received. Also proceedings of District Level Committee in district Sriganganagar is on the letter pad of Jila Parishad which shall be on the letter pad of District Collector.

ii. Nodal Officer, Govt. of Rajasthan letter dated 27.01.2022 of is not readable. Thus, clear and readable copy of the letter shall be uploaded on the PARIVESH portal.

इस संबंध में राज्य शासन से यह अनुरोध है कि उपरोक्त जानकारी को ऑनलाईन पोर्टल पर आवश्यक दस्तावेज सहित अपलोड करायें ताकि अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित की जा सकें।

भवदीय,
16/6/2022

(श्रवण कुमार वर्मा)
उप महानिरीक्षक /क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि: (ई-मेल द्वारा)

1. अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी (वन संरक्षण), वन विभाग, अरण्य भवन, झालाना इंस्टिट्यूशनल एरिया, जयपुर, राजस्थान।
2. उप वन संरक्षक, बीकानेर/हनुमानगढ़/श्रीगंगानगर वनमण्डल, राजस्थान।

3. राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, 191, कोर्ट रोड़, सिटी पोलिस स्टेशन के समीप, हनुमानगढ़ जंक्शन, हनुमानगढ़, राजस्थान।
4. आदेश पत्रावली।

कार्यालय ग्राम पंचायत नौरंगदेसर

पंचायत समिति, बीकानेर (राज.)

भगवानाराम मेघवाल
सरपंच

मो. 8107571485
9829394725

क्रमांक 2020/346

दिनांक 21-10-2020

श्रीमान् विकास अधिकारी
पंचायत समिति बीकानेर

विषय :- पंचायत स्तरीय बन्याधिकार कमेटी से वनभूमि प्रत्यावर्तन के लिये फॉरेस्ट राईट एक्ट 2006 के तहत अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने के सम्बन्ध में।

प्रसंग :- आपका पत्रांक पसबी/2019-20/923 दिनांक 02/12/2019 के सम्बन्ध में।

महोद्य,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि ग्राम पंचायत नौरंगदेसर द्वारा ग्राम पंचायत स्तरीय वनाधिकार कमेटी में भारतमाला प्रोजेक्ट से सम्बन्धित उक्त प्रस्ताव ग्राम पंचायत के पाक्षिक बैठक दिनांक 20/10/2020 को प्रस्ताव संख्या 20 द्वारा प्रस्तुत किया गया जिसमें पाया गया कि ग्राम पंचायत क्षेत्र के फॉरेस्ट राईट एक्ट 2006 के तहत् वन्याधिकार के सम्बन्धित कोई दावा लम्बित नही है। उक्त आधार पर कमेटी द्वारा उक्त प्रोजेक्टमें पर्यावरण एवं फॉरेस्ट राईट एक्ट 2006 के नियम की पालना करते हुवे सम्पादन करने की शर्त पर ग्राम पंचायत नौरंगदेसर द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) जारी किया गया है तथा उक्त कार्य सम्पादित करने पर ग्राम पंचायत नौरंगदेसर को कोई आपत्ति नहीं है।

बजरंग पुरोहित
ग्राम विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत नौरंगदेसर
पं. स. बीकानेर

भगवानाराम
(भगवानाराम मेघवाल)
सरपंच
ग्राम पंचायत नोरंगदेसर
पं. स. बीकानेर

सदस्यगण	कार्यवाही विवरण मय प्रस्ताव एवं लिए गए निर्णय	1. कार्यवाही विवरण/पढ़कर/सुनाकर हस्ताक्षर किए गए। 2. उक्त विवरण पंक्ति संख्या..........से.......... तक सचिव ग्राम पंचायत द्वारा लिखा जाकर हस्ताक्षर किए गए।
	प्रस्ताव सं. 16 आज की बैठक में [illegible] वार्ड पंच ने प्रस्ताव रखा कि [illegible] को [illegible] में [illegible] [illegible] के पास [illegible] का प्रस्ताव पारित किया गया	
	प्रस्ताव सं. आज की बैठक में श्री [illegible] उप सरपंच ने प्रस्ताव रखा कि [illegible] के घर से [illegible] के घर तक सी-सी ब्लॉक सड़क का प्रस्ताव पारित किया गया।	
	प्रस्ताव सं. आज की बैठक में सरपंच महोदय ने प्रस्ताव रखा कि ग्राम नोरंगदेसर में [illegible] के घर से [illegible] नारायण राम के घर तक रास्ता कच्चा है उस रास्ते को पक्का करके सी-सी ब्लॉक [illegible] सड़क बनाने का प्रस्ताव [illegible] पारित किया गया जिसकी लम्बाई लगभग 500 मीटर है	
	प्रस्ताव सं. 19 आज की बैठक में सरपंच महोदय ने प्रस्ताव रखा कि ग्राम नोरंगदेसर में [illegible] से [illegible] के घर [illegible] पेयजल हेतु पाइपलाइन [illegible] [illegible] का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया	प्रस्ताव सं 20 दिनांक 20-[illegible] प्रस्ताव
	प्रस्ताव सं. 20 आज की बैठक में [illegible] वन भूमि प्रत्यावर्तन के लिए [illegible] N-H 11 [illegible] भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का कार्य हेतु [illegible] वन भूमि प्रत्यावर्तन [illegible] परियोजना हेतु [illegible] Km 00.300 से Km 252.500 [illegible] NH 754 के निर्माण हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र [illegible] 2006 [illegible]	भगवानाराम (भगवानाराम मेघवा[illegible]) सरपंच ग्राम पंचायत नोरंगदे[illegible] पं. स. बीकानेर
		[signature] बजरंग पुरोहित ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत नोरंग[illegible] पं. स. [illegible]

प्रपत्र संख्या– 1

कार्यवृत्त पुस्तक (कार्यवाही रजिस्टर)

ग्राम पंचायत नोरंगदेसर पंचायत समिति बीकानेर जिला परिषद बीकानेर वर्ष 20 – 20

दिनांक	उपस्थिति सदस्यगण	कार्यवाही विवरण मय प्रस्ताव एवं लिए गए निर्णय	हस्ताक्षर उपस्थित सदस्यगण 1. कार्यवाही विवरण / पठन / सुनकर हस्ताक्षर किए गए। 2. इस विवरण पर जो सदस्य मौजूद नहीं थे उनके ग्राम पंचायत द्वारा लिखवा कर हस्ताक्षर किए गए।
		से उक्त प्रमाण पत्र चाहा गया है अतः देने के सर्व	
		सम्मति से निर्णय लिया जाता है कि उक्त प्रार्थी	
		में पर्यावरण एवं फोरेस्ट एक्ट सन 2006 की	
		पूर्ण पालना करते हुए कार्य सम्पादन की शर्त	
		पर ग्राम पंचायत द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र	
		जारी करें। यह प्रस्ताव सर्व सम्मति से पारित	
		किया जाता है।	
		प्रस्ताव 24 आगामी बैठक में सदस्य [illegible]	
		प्रस्ताव रखा कि पंचायत भवन की मरम्मत व	
		रंगाई पुताई हुए करीब 7-8 वर्ष हो चुके थे	2020

प्रस्ताव दि 20-10-2020 प्रमाणित है

भगवानाराम
(भगवानाराम मेघवाल)
सरपंच
ग्राम पंचायत नोरंगदेसर
पं. स. बीकानेर

[illegible] पुरोहित
ग्राम [illegible] अधिकारी
ग्राम पंचायत [illegible] 13
पं. स. [illegible]

कार्यालय ग्राम पंचायत, नापासर

पंचायत समिति, बीकानेर

क्रमांक :- SPL 7/ग्रा.पं./प./ना./20/10/2020 दिनांक :- 20/10/2020

श्रीमान विकास अधिकारी महोदय,
पंचायत समिति बीकानेर ।

विषय :- पंचायत स्तरीय वन्याधिकार कमेटी से वनभूमि प्रत्यावर्तन के लिये फॉरेस्ट राईट एक्ट 2006 के तहत अनापति प्रमाण पत्र जारी करने के सम्बन्ध मे।

प्रसंग :- आपका पत्र क्रमांक प.स.बी./2019-20/923 दिनांक 02/12/2019 के सन्दर्भ मे ।

महोदय,

उपरोक्त विषय मे निवेदन है कि ग्राम पंचायत नापासर द्वारा ग्राम पंचायत स्तरीय वनाधिकार कमेटी ने भारतमाला प्रोजेक्ट से सम्बन्धित उक्त प्रस्ताव ग्राम पंचायत की पाक्षिक बैठक दिनांक 20/10/2020 को प्रस्ताव संख्या 8 द्वारा प्रस्तुत किया गया, जिसमे पाया गया कि ग्राम पंचायत क्षेत्र के फॉरेस्ट राईट एक्ट 2006 के तहत वनाधिकार से सम्बन्धित कोई दावा लम्बित नही है । उक्त आधार पर कमेटी द्वारा उक्त प्रोजेक्ट ने पर्यावरण एवम फोरेस्ट राईट एक्ट 2006 नियम 2552 की पूर्ण पालना करते हुए कार्य सम्पादन करने की शर्त पर ग्राम पंचायत नापासर द्वारा अनापति प्रमाण पत्र (NOC) जारी किया जाता है तथा उक्त कार्य सम्पादित करने पर ग्राम पंचायत नापासर को कोई आपति नही है।

ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत नापासर पंचायत समिति-बीकानेर ग्राम पंचायत नापासर	सरपंच सरलादेवी-सरपंच ग्राम पंचायत नापासर पंचायत समिति बीकानेर ग्राम पंचायत नापासर

			Date
		जन स्वास्थ्य व्यवस्था में है इन्हें दुरुस्त करवाए जावे। तथा वार्ड पंच साहिबान ने सभी से निवेदन किया कि इस कोरोना काल में पूर्ण सावधानी रखे। उचित दूरी बनाए रखे, मास्क लगाए, सेनेटाईजर का प्रयोग करे तथा भीड़ भाड़ स्थानों पर जाने से बचे। यह विश्व व्यापी असाध्य बिमारी है सुरक्षा / बचाव ही उपाय है अतः सजग रहे।	20/10/202
		पंच साहिबान ने प्रस्ताव रखा कि हमारे मौहल्ले में स्थित श्री करणी माता मन्दिर से श्री विश्वकर्मा मन्दिर तक का C.C. Block निर्माण करवाया जावे।	
		प्रस्ताव 8 ग्राम विकास अधिकारी ने सदन को बताया कि माननीय विकास अधिकारी महोदय द्वारा भेजे गये वृक्षारोपण प्रत्यावर्तन के लिए ग्राम पंचायत को N.O.C. जारी का पत्र जारी करने का निर्देश प्राप्त हुआ है तो सरपंच साहिबा व अन्य उपस्थित समस्त पंचों ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया कि यदि वन प्रत्यावर्तन से पर्यावरण का विकास होते है तो ग्राम पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है। प्रतिवेदक वन प्रत्यावर्तन की N.O.C. तत्काल जारी की जावे ताकि पर्यावरण संरक्षित एवं सम्पत्ति हो सके अतः ग्राम पंचायत अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करती है। उक्त प्रोजेक्ट पर्यावरण व फोरेस्ट एक्ट 2006 के तहत दि. 2008 की वन योजना प्रति की शर्त पर ग्राम पंचायत नापासर (जोहड़) उक्त अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करने का निर्णय सर्व सम्मति से।	

ग्राम विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत-नापासर
पंचायत समिति-बीकानेर

कार्यालय ग्राम पंचायत गोपल्याण

पंचायत समिति लूनकरनसर (बीकानेर)

सरपंच
रामप्रताप जाखड़
मो.8094916917, 6378511754

स्वच्छ भारत
एक कदम स्वच्छता की ओर

क्रमांक SPL01 | दिनांक 14-11-2022

सेवामे,

श्रीमान उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड कार्यालय लूणकरणसर

विषय → वन भूमि प्रत्यावर्ती के लिए FR 2006 के तहत निर्धारित प्रमाण-पत्र जारी करने के सम्बन्ध में.

महोदय,
उपरोक्त विषय से निवेदन है की ग्राम पंचायत गोपल्याण की पाक्षिक बैठक 20.12.2019 में निम्न प्रकार से प्रस्ताव लेकर अनुमोदीत कर आगामी कार्यवाई हेतु प्रेषित है।

प्रस्ताव संख्या 2 - पाक्षिक बैठक मे वन अधिकारी समिती ग्राम पंचायत गोपल्याण द्वारा वन भुमी प्रत्यावर्तन के लिये FRA 2006 के तहत वन भुमी प्रत्यावर्तन वास्ते भारतमाला परियोजना हेतु बिकानेर जिले मे 6/4 लाईन किमी 00.300 से 252/500 अंगरिया - रासीसर NH 754 K निर्माण हेतु कोई भी वन अधिकार प्रस्तावित नहीं है इसलिये ग्राम पंचायत गोपल्याण की वन अधिकारी समिती को उपखण्ड स्तरीय कमेठी को प्रमाण-पत्र भिजवाने का यह प्रस्ताव FRA 2006 करने पर आपती नही है। सर्वसमिती से अनुमोदीत किया गया है।

रामप्रताप
(रामप्रताप)
सरपंच
ग्राम पंचायत गोपल्याण
प. स. लूनकरणसर

कार्यालय ग्राम पंचायत कपूरीसर

पंचायत समिति– लूनकरनसर, जिला बीकानेर (राज)

क्रमांक/ ग्रा.प./SPL   दिनांक 24-12-2019

सेवा में,

श्री मान उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड कार्यालय लूनकरणसर

विषय!- वन भूमि प्रत्यावर्तन के लिए फोरेस्ट राइट एक्ट 2006 के तहत निरापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करने के सम्बन्ध में।

महोदय, उपरोक्त विषय में निवेदन है कि ग्राम पं. कपूरीसर की पाक्षिक बैठक 20-12-2019 में निम्न प्रकार से प्रस्ताव लेकर अनुमोदित कर आगामी कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

प्रस्ताव संख्या!- 02 पाक्षिक बैठक में वनाधिकार समिति ग्रा. प. कपूरीसर द्वारा वन भूमि प्रत्यावर्तन के लिए फोरेस्ट राइट एक्ट 2006 के तहत "विषय वन भूमि" प्रत्यावर्तन वास्ते भारत माला परियोजना हेतु बीकानेर जिले में 6/4 लेन किमी. 00.300 से किमी 252.500 संगरिया-रासीसर एन. एच-754 के निर्माण हेतु कोई भी वनाधिकार का प्रभावित ग्रा. पं. कपूरीसर की प्रमाण नहीं है। इसलिए उपखंड स्तरीय कमेटी को ग्रा. पं. कपूरीसर की वनाधिकार समिति को फोरेस्ट क्लि. करने पर कोई आपत्ति नहीं है। निरापत्ति का प्रमाण-पत्र भिजवाने का यह प्रस्ताव सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।

सरपंच
ग्राम पंचायत कपूरीसर
प. स. लूनकरणसर

24-12-2019
मुरलीधर शर्मा
ग्रा. पं. कपूरीसर
सरपंच

(164)

पंचों की बैठक की कार्यवाही के विवरण का रजिस्टर

पंचायत समिति लूनकरनसर जिला बीकानेर वर्ष 20

...प उप समिति कपूरीसर

...स्थान	पंच/सदस्य का नाम	उपस्थित सदस्यों के नाम	बैठक की कार्यवाही का विवरण	बैठक में उपस्थित सदस्यों के हस्ताक्षर
	3	4	5	6
...रणी ...सेवा	श्री मुरलीधर सारस्वत	श्री मोहनलाल श्री नोरंगलाल श्री राजाराम श्रीमती गीता श्रीमती हिरा श्रीमती सलोचना श्रीमती गोमती श्रीमती परमेश्वरी श्री भीमाराम श्री रामकरण	आज दिनांक 20.12.19 को ग्राम पंचायत कपूरीसर के भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्र में पाक्षिक बैठक का आयोजन किया जा रहा है जिसमें सर्वप्रथम पूर्व बैठक मे लिए गए प्रस्ताव व निर्णयों को पढ़कर सुनाया गया तथा सर्व सम्मति से पारित होने के बाद बैठक की कार्यवाही शुरू की गई। प्रस्ताव सं. 01. बैठक में आबादी भूमि का नियमन करके पट्टे जारी किये जाने की निम्न मिसल पेश की गई। मिसल सं. विवरण ओमप्रकाश S/o गोपालराम उक्त मिसल पेश की गई जिसके लिए निर्धारित शुल्क जमा करवा लिया गया है अतः निम्नानुसार बाद विमर्श करने के बाद पट्टे जारी करने का निर्णय लिया जाता है यह निर्णय सर्वसम्मति से पारित किया जाता है कि पट्टे जारी किये जाने के बाद एक प्रति पंचायत समिति लूनकरनसर भेजकर मिसल दफ्तर दाखिल की जावें। प्रस्ताव सं. 02. – पाक्षिक बैठक में वनाधिकार समिति ग्राम पं. कपूरीसर द्वारा वन भूमि प्रत्यावर्तन के लिए फोरेस्ट राइट एक्ट 2006 के तहत नियम वन भूमि प्रत्यावर्तन वास्ते – भारत माला परियोजना हेतु बीकानेर जिले में 4/6 लेन किमी 00.000 से किमी 252.500 – संगरीया – रासीसर एन एच – 754 के निर्माण हेतु कोई भी वनाधिकार का प्रभावित प्रकरण नहीं है इसलिए उपखंड स्तरीय कमेटी को ग्रा०पं० कपूरीसर की वनाधिकार समिति को F.R.A. करने पर कोई आपत्ति नहीं है का प्रमाण पत्र भिजवाने का यह प्रस्ताव सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया। पुष्टिकर्ता कमांक [signature] L.D.C. ग्रा.पं. कपूरीसर	मोहनलाल नोरंगलाल गीता राजाराम हिरा सलोचना गोमती परमेश्वरी [thumb impression] भीमाराम रामकरण

कार्यालय ग्राम पंचायत सरदारपुरा खर्था

पंचायत समिति सूरतगढ़, जिला श्री गंगानगर (राज.)

प्रेषक :-
सुनील कुमार
(सरपंच)
ग्राम पंचायत सरदारपुरा खर्था
(M) : 9414990416, 9602063194
E-Mail : saharansunil64413@gmail.com

प्रेषिति :- विकास अधिकारी महोदय
पं. स. सूरतगढ़
श्रीगंगानगर

क्रमांक GPL-01 ग्रामसभा 15/10/2020 दिनांक 15/10/2020

प्रस्ताव सं. 01 प्रमाणित प्रतिलिपि

आज दिनांक 15/10/2020 को ग्राम सभा बैठक का आयोजन सरपंच महोदय श्रीमान सुनील सहारण की अध्यक्षता में किया गया। जिसमें भारतमाला प्रोजेक्ट हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र चाहा गया है। जिसको ग्राम सभा में उपस्थित सदस्यों के सम्मुख रखा गया चक 10SPD एवं सरदारपुरा खर्था का कुछ क्षेत्र वन विभाग की भूमि का है। उक्त क्षेत्र अनुसूचित जनजाति अधिनियम 2006 के नियम 2008 एवं संशोधित अधिनियम 2012 के अन्तर्गत प्रस्तावित वन भूमि से अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 नियम 2008 एवं संशोधित अधिनियम के अन्तर्गत किसी भी व्यक्ति को अधिकार पत्र जारी नहीं किया गया है उक्त भूमि पर मौके पर वन क्षेत्र है व वन क्षेत्र की भूमि है। ना ही कोई व्यक्ति (अनुसूचित जनजाति का) निवास कर रहा है।
अतः उक्त पर विचार विमर्श कर प्रस्ताव सर्वसम्मति से अनुमोदन किया जाता है ग्राम प. में सरदारपुरा खर्था प.स. सूरतगढ़ के उक्त प्रावधानों के सबंध में ग्राम सभा में अनुमोदन कर अनुशंसा सहित श्रीमान जी को अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

Sunil
(सुनील कुमार)
सरपंच
ग्राम पंचायत सरदारपुरा खर्था
पं. स. सूरतगढ़ (श्रीगंगानगर)

/ग्रामविकास अधिकारी
ग्राम पंचायत [illegible]
पं. स. सूरतगढ़ (श्रीगंगानगर)

Scanned with CamScanner

कार्यालय ग्राम पंचायत ठेठार

पंचायत समिति-सूरतगढ़, जिला-श्रीगंगानगर

प्रेषक :-
कलावती देवी कताला
सरपंच
ग्राम पंचायत ठेठार
मो. 99831 38687

पता :-
ग्राम ठेठार
तह. सूरतगढ़
जिला श्रीगंगानगर
मो. 99829 97528

क्रमांक: -2021/ग्रा.प./ठेठार/

श्रीमान विकास अधिकारी
पं.स. सूरतगढ़
श्रीगंगानगर

दिनांक 24/01/2021

पाक्षिक बैठक दि. 19-01-2021

प्रस्ताव संख्या .04

आज की बैठक में अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन को अवगत करवाया गया कि भारत माला प्रोजेक्ट हेतु ग्रा.पं. ठेठार से अनापत्ति प्रमाण-पत्र चाहा गया है जिसमें ग्रा.पं. ठेठार के चक 3 STD A, 3 STD B एवं 1 KND की कुछ क्षेत्र वन-विभाग की भूमि आती है उक्त क्षेत्र में अनुसूचित जन जाति अधिनियम 2006 के नियम 2008 एवं संशोधित अधि-नियम 2012 के अन्तर्गत प्रस्तावित वन भूमि से अनुसूचित जन जाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 नियम 2008 एवं संशोधित अधिनियम के अन्तर्गत किसी भी व्यक्ति को अधिकार पत्र जारी नहीं किया गया है। उस भूमि पर मौके पर वन क्षेत्र है। व वन क्षेत्र की भूमि है नहीं कोई व्यक्ति (अनुसूचित जन जाति) का निवास कर रहा है।

उक्त प्रस्ताव पर सदन द्वारा आपसी विचार-विमर्श किया गया। वाद-विचार उपरान्त प्रस्ताव सर्व-सहमति से अनुमोदन किया गया उक्त प्रावधानों के संबंध में ग्रा.पं. ठेठार पं.स. सूरतगढ़ के द्वारा पाक्षिक बैठक में अनुमोदन कर उक्त शर्तों सहित NHAI को आगामी कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

कलावती
सरपंच
ग्राम पंचायत ठेठार
प.स. सूरतगढ़ (श्री गंगानगर)

ग्राम विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत ठेठार

DATE

ग्रामसभा में उपस्थिति –

1.	श्रीमति	कलावती [illegible]	सरपंच	
2.	श्री	वेदप्रकाश	VDO	[signature]
3.	श्री	विक्रम सिंह	क० सहायक	[signature]
4	"	जोगेन्द्र शर्मा	पंचायत सहायक	[signature]
5	"	जुगलकिशोर	—	जुगलकिशोर
6	"	सुरेन्द्र सिंह	[illegible] गार्ड	सुरेन्द्रसिंह
7	"	रामप्रताप	वार्ड पंच	रामप्रताप
8.	"	छुड़ सिंह		[thumb impression] ब.नि. छुड़

2

DATE

ओमीचन्द / कानाराम — ओमिन्दि

गोकुलसिंह / ओमसिंह

मनीरामसिंह / खुमानीसिंह — नि.अं. मनीराम सिंह

करणीसिंह / फतेहसिंह — नि.अं. करणीसिंह

आदुराम / लालूराम — आदुराम

महेन्द्र / रेवन्तराम

सन्तोषकुमार / श्रवणकुमार — सन्तोषकुमार

धनपत / प्रदीपसोट — धनपत

विनोदसिंह / सजु-उसिंह — विनोदसिंह

पवनसिंह / श्योलाल सिंह — पवनसिंह

दलीपसिंह / प्रेम सिंह — दलीपसिंह

सीता / कुशालसिंह — नि.अं. सीता

ग्राम सभा की बैठक कोरम पूर्ति के अभाव में आगामी आदेशों तक स्थगित की जाती है।

धन्यवाद /

कलावती
सरपंच
ग्राम पंचायत ठेठार
पं.स. सूरतगढ़ (श्री गंगा.)

(वेदप्रकाश)
ग्राम विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत - ठेठार
पं. स. सूरतगढ़ (श्रीगंगानगर)

your writing partner

PAGE

कार्यालय जिला परिषद (ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ) श्रीगंगानगर

क्रमांकः–माडा / परम्परागत वन निवासी / 2588 दिनांकः– 22/1/2021

बैठक कार्यवाही विवरण

पर्यावरण और वन मंत्रालय (एमओईएफ) के अनुपालन में, भारत सरकार के पत्र संख्या 11- 9/98-एफसी (पीटी) ने 3 अगस्त 2009 को दिनांकित किया जिसमें एमओईएफ ने आरंभ करने और प्रक्रिया को पूरा करने के लिए साक्ष्य प्रस्तुत करने पर दिशानिर्देश जारी किए पालना में द्वारा अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 द्वारा गठित जिला स्तरीय समिति की बैठक आज दिनांक 22.01.2020 को सुबह .6... बजे श्रीमान जिला कलक्टर की अध्यक्षता में कलक्ट्रेट सभागार में सम्पन्न हुई। बैठक में निम्नलिखित अधिकारीगण एवं सदस्यगण उपस्थित हुये जिनकी सूची परशिष्ट–1 पर संलग्न हैं।

बैठक में अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत निम्नांकित प्रकरण बैठक में विचारार्थ रखा गया :–

1. जिला स्तरीय वनाधिकार कमेटी से वन क्षेत्र में पडने वाली ग्राम पंचायत ठेठार एवं सरदारपुराखर्था सूरतगढ़ की 21.2752 हैक्ट. भुमि संबंधित ग्राम पंचायत की ग्राम सभा में अनुमोदन के आधार पर अनुशंषा के द्वारा इस समिति के समक्ष अनुमोदन हेतु रखा गया हैं।

अनुशंषा :–

1. अनुसुचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारो की मान्यता) अधिनियम 2006 की धारा 3(1) के अन्तर्गत एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उक्त प्रस्तावित वन भूमि पर कोई दावे लम्बित नहीं हैं। अतः बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों ने उक्त भूमि पर कोई दावा लम्बित नहीं होने के कारण अनुसूचित जनजाति एवं अन्य (वन अधिकारो की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्संबंधी नियम 2008 के अन्तर्गत वन क्षेत्र में पड़ने वाली निम्नांकित भुमि यथा :–

   अ. भारतमाला परियोजना लॉट–4 / पैकेज–5 के अन्तर्गत इकॉनोमिक कॉरिडोर अमृतसर–जामनगर परियोजना के पथांश संगरिया (जिला–हनुमानगढ़) से बीकानेर के तहत श्रीगंगानगर जिले के सूरतगढ़ तहसील के गांवों की अतिरिक्त भुमि अवाप्ति के क्रम में वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण–पत्र जारी करने के संबंध में ।

उक्त श्रीगंगानगर जिले के गावों की भुमि अवाप्ति के क्रम में संबंधित ग्राम पंचायत की ग्राम सभा में अनुमोदन एवं उपखण्ड स्तरीय समिति की अनुशंषा के आधार पर सर्वसम्मति से अनुशंषा की जाती हैं।

22/1/21	22.1.21	22/1/2021
श्री अशोक कुमार मीणा मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद, श्रीगंगानगर	श्रीआशुतोष ओझा उप वन संरक्षक श्रीगंगानगर	श्री महावीर प्रसाद वर्मा जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर

Annexure-II

FORM-II
(for projects other than linear projects)
Government of- Rajasthan
Office of the District Collector Sri Ganganagar
To WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

S.No. 2585 Dated 22-01-2021

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of india's letter No.11- 9/98-FC (pt.) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Right) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes, it is certified that 21.2752 hectare of forest land proposed to be diverted in favour of Project Director, NHAI, PIU Hanumangarh reg. (name of user agency) for Bharat Mala Project of Sangriya (Near Chautala)-rajisar (Near Bikaner)section of NH-EPC mode under Bharatmala Pariyojna (PKG-01 to 09) at Gram Panchayat Thethar & Sardarpura kharta Teh. SURATGARH, Distt. Sri Ganganagar (purpose for diversion of forest land) in Sri Ganganagar district falls within jurisdiction of Relative Gram Punchayat (s) in SURATGARH tehsils Distt. Sri Ganganagar.

It is further certified that :-

(a) the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 21.2752 hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights Committee(s), Gram Sabha(s), Sub-Division Level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as Annexure-I to Annexure -II

(b) the proposal for such diversion (with full details of the project and its implications, in vernacular/ local language) have been placed before each concerned Gram Sabha of forest-dwellers, who eligible under the FRA;

(c) the each of concerned Gram Sabha(s), has certified that all formalities/processes under the FRA have been carried out, and that they have given their consent to the proposed diversion and the compensation and ameliorative measures, if any, having understood the purpose and details of proposed diversion. A copy of certificate issued by the gram sabha of Gram Panchayat (s) is enclosed as annexure –II.

(d) the discussion and decisions on such proposals had taken pace only when there was a quorum of minimum 50% of the members of.Gram Sabha present;

(e) the diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Gram Sabhas have given their consent to it;

(f) The Purposed does not involve recognised rights of Primitive Tribal Groups' and Pre-Agricultural Communities.

Ends.: As above.

Signature

22.1.21 22/1/2021

(Ashutosh Ojha)
Dist. Forest Officer,
Sri Ganganagar

(Mahaveer Prasad Varma)
District Collector,
Sri Ganganagar

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HoFF) राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः एफ. 14( )2019/संयुक्त रोड़स्/एफसीए/प्रमुवसं/ 475 दिनांक 27/1/22

शासन सचिव,
वन विभाग,
राजस्थान, जयपुर।

विषयः—Diversion of 63.6807 ha. forest land in favour of NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF INDIA PIU HANUMANGARH for construction of approach road for construction of 4/6 lane road from Choutala in Sirsa district in the state of Haryana to Rasiser in Bikaner district in the state of Rajasthan from CH (0.300) km to 252.500 km. This is a part of Amritsar to Kandla Express Way under Bharatmala Pariyojana. (प्रस्ताव सं. FP/RJ/Road/37034/2018)

सन्दर्भः—भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, लखनऊ कार्यालय का पत्र सं. 8 बी/राज/06/25/2020/एफसी/854 दिनांक 02.09.2020

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत आपके संदर्भित पत्र से जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तो की अनुपालना मुख्य वन संरक्षक, बीकानेर ने उनके पत्रांक 10208 दि. 27.12.2021 से अपने संबंधित उप वन संरक्षकों से प्राप्त कर इस कार्यालय में प्रेषित की है, जो निम्नानुसार हैः—

S. N.	Conditions	Compliance
1.	Legal status of the forest land shall remain unchanged.	Legal Status of Forest Land will remain unchanged. undertaking has been given by user agency.
2.	Compensatory afforestation shall be taken up by the Forest Department over 127.5152 ha degraded forest land (Compartment/Khasra No. 01, Village Chak 329.700 RD & 244 RD, Tehsil Lunkaransar, District-Bikaner), (Compartment/Khasra No. 1, Village Sonari Meghsinghpura, Tehsil Nohar, District Hanumangarh), (Compartment/khasra No. 3PPN, Village 3PPN, Tehsil Suratgarh, District Sriganganagar) at the cost of user agency. As far as possible, a mixture of local indigenous species shall be planted and monoculture of any species may be avoided.	Compensatory Afforestation (127.5152 Hect.) CA Amount detail- Bikaner = Rs. 1,09,41,638/- (Labour rate 213/-) Hanumangarh = Rs. 6,84,140/- (Labour rate 213/-) Sriganganagar = Rs. 58,22,117/- (Labour rate 213/-) deposited in CAMPA fund on 08.10.2020 through NEFT No. P282200000878430 - RAJASTHAN CAMPA Difference Amount detail- (Labour Rate 213 to 225) Bikaner = Rs. 5,81,347/- Hnumangarh = Rs. 36,360/- Sriganganagar = Rs. 3,09,396/- deposited in CAMPA fund on 25.01.2021 Through NEFT No. P025210081350531- RAJASTHAN CAMPA Difference Amount detail - (Labour Rate 225 to 252) Bikaner = Rs. 13,82,759/- Hnumangarh = Rs. 86,460/- Sriganganagar = Rs. 7,35,717/- deposited in CAMPA fund on 27.10.2021 Through UTR No. P300210134617418- RAJASTHAN CAMPA Total C.A. Amount = 2,05,79,934/- amonut deposited by NHAI in CAMPA fund. So Compensatory Afforestation Shall be taken up by the forest department.
3.	The cost of compensatory afforestation at the prevailing wage rates as per compensatory afforestation scheme and the cost of survey, demarcation and erection of permanent pillars if required on the CA land shall be deposited in advance with the Forest Department by the project authority. The CA will be maintained for 10 years. The scheme may include appropriate provision for anticipated cost increase for works scheduled for subsequent years.	Compensatory Afforestation (127.5152 Hect.) CA Amount detail- Bikaner = Rs. 1,09,41,638/- (Labour rate 213/-) Hanumangarh = Rs. 6,84,140/- (Labour rate 213/-) Sriganganagar = Rs. 58,22,117/- (Labour rate 213/-) deposited in CAMPA fund on 08.10.2020 through NEFT No. P282200000878430 - RAJASTHAN CAMPA Difference Amount detail- (Labour Rate 213 to 225) Bikaner = Rs. 5,81,347/- Hnumangarh = Rs. 36,360/-

		Sriganganagar = Rs. 3,09,396/- deposited in CAMPA fund on 25.01.2021 Through NEFT No. P025210081350531- RAJASTHAN CAMPA Difference Amount detail - (Labour Rate 225 to 252) Bikaner = Rs. 13,82,759/- Hnumangarh = Rs. 86,460/- Sriganganagar = Rs. 7,35,717/- deposited in CAMPA fund on 27.10.2021 Through UTR No. P300210134617418- RAJASTHAN CAMPA Total C.A. Amount = 2,05,79,934/- amonut deposited by NHAI in CAMPA fund. So Compensatory Afforestation Shall be taken up by the forest department.
4.	The State Government shall charge the Net Present Value (NPV) for the 63.6807 ha. forest area to be diverted under this proposal from the user agency as per the orders of the Hon'ble Supreme Court of India dated 30/10/2002, 01/08/2003, 28/03/2008, 24/04/2008 and 09/05/2008 in IA No. 566 in WP (C) No. 202/1995 and as per the guidelines issued by the Ministry vide letters No. 5-1/1998-FC (Pt.II) dated18/09/2003, as well as letter No. 5-2/2006-FC dated 03/10/2006 and 5-3/2007-FC dated 05/02/2009 in this regard.	The Net Present Value Rs. 2,78,92,148/- for 63.6807 ha. of land as per details given below : Bikaner : Rs. 1,75,12,379/- Hanumangarh : Rs. 10,61,231 /- Sriganganagar : Rs. 93,18,538 /- ------------------ Total : Rs. 2,78,92,148/- deposited in CAMPA fund on dated 08.10.2020 through NEFT No. P282200000878430 - RAJASTHAN CAMPA by NHAI (Application no. 6137034433 MoEF / SG File no.8B/RAJ/06/25/2020 in the account no. 150856137034433 in RAJASTHAN CAMPA Bank Details : Corporation Bank, Lodhi Complex Branch, Block 11, CGO Complex, Ph-I, Lodhi Road, New Delhi-110003).
5.	Additional amount of the NPV of the diverted forest land, if any, becoming due after finalization of the same by the Hon'ble Supreme Court of India on receipt of the report from the Expert Committee, shall be charged by the State Government from the User Agency. The User agency shall furnish an undertaking to this effect.	Undertaking enclosed by User agency for additional amount of the NPV of the diverted forest land.
6.	User agency shall restrict the felling of trees to minimum number the diverted forest land and the trees shall be felled under the strict supervision of the State Forest Department and the cost of felling of trees shall be deposited by the User Agency with the State Forest Department.	User agency certified that minimum number of trees shall be felled. (Undertaking enclosed)
7.	As far as possible maximum number of trees shall be translocated according to detailed scheme for translocation of suitable plants prepared in consultation with the State Forest Department and cost for the same shall be borne by the user agency.	User agency agreed upon. the certificate of undertaking is enclosed.
8.	Road side plantation shall be done according to a scheme for road side plantation as per IRC norms prepared in consultation with the state forest department and the cost for the same shall be borne by the user agency.	User agency agreed upon. the certificate of undertaking is enclosed.
9.	The complete compliance of the FRA, 2006 shall be ensured by way of prescribed certificate from the concerned District Collector.	FRA 2006 certificate are enclosed.
10.	User agency shall raise strip plantation on both sides and central verge of the road as per the IRC norms.	User agency has given undertaking that Strip Plantation as per IRC norms shall be done.

11.	Speed regulating signage will be erected along the road at regular intervals in the Protected Areas/ Forest Areas.	User agency has given undertaking that Speed regulating signage will be installed as per the provisions of CA/IRC in the Forest Area.
12.	The user agency shall provide suitable under/over pass in Protected Area/Forest Area as per recommendations of CWLW/NBWL/FAC/REC.	User Agency Undertaking that Suitable under / overpass in Protected Area/ Forest Area will be constructed as per the provisions.
13.	User Agency shall obtain Environmental Clearance as per the provisions of the Environmental (Protection) Act, 1986, if applicable.	Environmental Clearance is attached.
14.	The layout plan of the proposal shall not be changed without prior approval of Central Government.	User agency has given undertaking that No change in layout plan shall be done without approval of Govt.
15.	No labour camp shall be established on the forest land.	User agency has given undertaking that No labour camp shall be established in Forest Land.
16.	Sufficient firewood, preferably the alternate fuel, shall be provided by the User Agency to the labourer after Purchasing the same from the State Forest Department or the Forest Development Corporation or any other legal source of alternate fuel.	User agency Agreed and submitted Undertaking for the same.
17.	The boundary of the diverted forest land shall be suitably demarcated on ground at the project cost, as per the directions of the concerned Divisional Forest Officer.	User agency has given undertaking that The boundary of the diverted Forest land has been demarcated with concrete pillars.
18.	No additional or new path will be constructed inside the forest area for transportation of construction materials for execution of the project work.	User agency has given undertaking that No additional or new path will be constructed inside the forest area.
19.	The period of diversion under this approval shall be co-terminus with the period of lease to be granted in favour of the user agency or the project life, whichever is less.	User agency Agreed and submitted Undertaking for the same.
20.	The forest land shall not be used for any purpose other than that specified in the project proposal.	User agency has given undertaking that Forest land shall not be used for any other purpose.
21.	The forest land proposed to be diverted shall under no circumstances be transferred to any other agencies, department or person without prior approval of Govt. of India.	User agency has given undertaking that the forest land shall not be transferred / diverted to any other agency.
22.	DFO should submit a certificate, certifying that no work has been executed in violation of Forest (Conservation) Act, 1980 in the said proposal.	No work has been executed in violation of Forest (Conservation) Act, 1980. DFO certificate attached.
23.	Violation of any of these conditions will amount to violation of Forest (Conservation) Act, 1980 and action would be taken as per the MoEF&CC Guideline F.No 11-42/2017 FC dt. 29/01/2018.	No Voilation cetificate by DCF's & user agency Violation undertaking is enclosed.
24.	Before the sanction of this project user agency must take approval from State Government as per Aravali Notification dated 07.05.1992 .	Not Applicable for this project road.
25.	The Project Proponent (NHAI) must allow free movement of vehicles of the Forest Department on official duty.	User agency has given undertaking is enclosed.

26.	Any other condition that the Ministry of Environment, Forests & Climate Change may stipulate from time to time in the interest of conservation, protection and development of forests & wildlife.	User agency has given undertaking and will be complied as desired.
27.	All the funds received from the user agency under the project shall be transferred/ deposited to CAMPA fund only through e-portal	User agency has given undertaking and has been complied also.
28.	The compliance report shall be uploaded on e-portal	The Compliance has been uploaded on e-portal

उक्तानुसार सैद्धान्तिक स्वीकृति की समस्त शर्तो की पालना हो चुकी है। अतः प्राप्त पालना की दो प्रतियां (एक मूल एवं एक छायाप्रति) प्रेषित कर निवेदन है कि एक मूल प्रति भारत सरकार को अग्रेषित कर प्रकरण में वनभूमि प्रत्यावर्तन की विधिवत स्वीकृति जारी करवाने का कष्ट करें।

संलग्नः–उक्तानुसार।

भवदीय

(डॉ. गोबिन्द सागर भारद्वाज)
अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
प्रोटेक्शन एंव नोडल अधिकारी एफसीए,
राजस्थान, जयपुर।

दिनांक

क्रमांकः एफ. 14( )2019/संयुक्त रोड़स्/एफसीए/प्रमुवसं/

प्रतिलिपिः–

Deputy Inspector General of Forests & Regional Officer, Government of India, Ministry of Environment Forests & Climate Change , IRO, Jaipur को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

(एस. के. गुप्ता)
उप वन संरक्षक (एफ.सी.ए.)
अरण्य भवन, जयपुर